



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-30092026-276634
CG-KA-E-30092026-276634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4966]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4966]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 19 सितम्बर, 2026

का.आ. 5172(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20च की उपधारा (6) तथा धारा 2 के खंड 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में तथा कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में प्राधिकृत किया जाता है, ताकि वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के संबंध में, जो कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित हैं, ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा परिचालन जन प्रयोजन के लिए किया गया है।

तालिका

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कर्नाटक के धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों में सरकारी, निजी एवं वन भूमि से जुड़ी हुब्बल्ली-अंकोला (163.00 कि. मी)	धारवाड़ एवं उत्तर कन्नड़	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), अंकोला/कुमटा	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी

के बीच विद्युतीकरण सहित नई बड़ी(BG) दोहरी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है।			
--	--	--	--

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 19th September, 2026

S.O. 5172(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Proposed construction of the New Broad Gauge Double Line between Hubballi – Ankola (163.00 Km) with Electrification in Dharwad and Uttara Kannada Districts of Karnataka, involving Government, Private and Forest Land.	Dharwad & Uttara Kannada	SLAO, Ankola/Kumta	Regional Commissioner, Belagavi

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction